(b) if so, whether the Ministries, Departments, offices have rendered any proposals in regard to the above and if so, the details thereof and the action taken thereon; and

(c) if not, the reasons therefor and steps taken to get them expedited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Ministries, Deptts. Offices are themselves responsible for planning the measures in the matter of identifying the key areas requiring systems improvement concerning vigilence and anti-corruption work and are required to take necessary action. As such, Ministrries, Deptts. and offices are not required to render any proposal to this Deptt. Administrative Vigilance Divisicn in the Deptt. of Personnel and Training has, however, prescribed a quarterly return for the Action Plan in order to collect and review information tion regarding various specific anti-corruption measures, such as number of cases under investigation and disciplinary proceedings etc. The Ministries Deptts. and offices where there are large number of cases pending are advised to take effective steps to reduce the same.

Vacancies reserved for SC's STs and OBCs in the Central Government

485. SHRI JANARDAN YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of vacancies reserved for SCs, and OBCs in Class-I to IV categories in the Central Government as on 31st March, 1994; and

(b) the steps being taken to fill up these vacancies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) The number of vacancies reserved for SCs, STs and OBCs under the Government of India as on 31.3.94 is not available. Information regarding the number of backlog vacanicees for SC/ST as on 31.3.93 is placed on the Table of the House as statement. (See below).

(b) A special Recruitment Drive was conducted from July 1993-March 1994.

Statement

VACANCIES FOR SC/ST IN GOVT. OF INDIA

The number of backlog vacancies as on 31-3-1993 *reserved for SC/ST under Government of India as reported by various Ministries/Department*

	SC	ST
Group A . .	687	615
Group B . .	556	526
Group C . .	5795	6729
Group D . .	1527	3257
TOTAL . .	8565	11127

आरक्षित कोटे के पदों पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की भर्ती के लिए शर्त

486. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को किन-किन परिस्थितियों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जा सकता है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गेट आल्वा) : (क तथा (ख) सीधी भर्ती में अनु. जा./अनु. जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर प्रतिबंध है। अत: अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त नहीं

किया जा सकता। फिर भी, विरले तथा आपवादिक मामलों में, समूह "क" सेवाओं में अनारक्षण की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दिनांक 25.4.89 के का०ज्ञा० सं० 36012/6/88-स्था० (अनु० जा०) के पैरा 7 में निर्दिष्ट है, जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 25-4-89 का का० ज्ञा० संख्या 36012/6/88-स्था० (अनु० जा०)

विषय : सरकार के अधीन सीधी भर्ती की रिक्तियों में आरक्षण हटाने पर रोक।

सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में विद्यमान आदेशों तथा अनुदेशों की पुनरीक्षा की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के हितों की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके लिए आरक्षित पद केवल उन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाते हैं अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं वहां रिक्तियां इन समुदायों से संबंध न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं भरी जाएंगी। दूसरे शब्दों में, आरक्षण हटाने पर रोक होगी। यह निर्णय समूह "क", "ख", "ग" तथा "घ" में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली सभी रिक्तियों के संबंध में 1.4.1989 से लागू होगा। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह रोक केवल 1-4-1989 के बाद होने वाली रिक्तियों पर ही लागू नहीं होगी बल्कि यह रोक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिए आरक्षित पहले के वर्षों की ऐसी रिक्तियों पर भी लागू होगी जो अभी तक अन्य समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी गई है, भले ही ऐसी रिक्तियां अनारक्षित की गई हैं अथवा नहीं।

2. इसके बाद से, समूह "क", "ख" "ग" तथा "घ" के पदों/सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती के सभी मामलों में, यदि भर्ती के पहले प्रयास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो, इन रिक्तियों को भरने के लिए उसी भर्ती वर्ष में अथवा यथाशीघ्र आगामी भर्ती से पहले, संबंधित समुदाय के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए दूसरा प्रयास किया जाएगा। यदि तब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो भरी न गई रिक्तियां आगामी भर्ती वर्ष तक खाली रहेंगी। इन रिक्तियों को "बकाया" रिक्तियों के रूप में माना जाएगा।

3. बाद के वर्ष में जब उस वर्ष की रिक्तियों (जिन्हें वर्तमान रिक्तियां कहा जाता है) के लिए भर्ती की जाती है तो भर्ती के लिए बकाया रिक्तियों की भी घोषणा की जाएगी और ऐसा करते समय विशेष भर्ती वर्ष की रिक्तियों को वर्तमान रिक्तियां तथा बकाया रिक्तियों दो भिन्न-भिन्न समूहों के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। यद्यपि भर्ती वर्ष के लिए रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की गणना के संबंध में सामान्य आदेश तथा इस आशय के अनुदेश भी लागू होंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग आदि व्यक्तियों के लिए 50% से अधिक रिक्तियां आरक्षित नहीं की जा सकती, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी बकाया रिक्तियां किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लागू किए बिना आरक्षित समुदाय के उम्मीदवारों

द्वारा भरी जाएंगी, क्योंकि उनका संबंध बकाया रिक्तियों के स्पष्ट अलग-अलग समूहों से है।

4. उदाहरण के लिए, यदि पिछले वर्षों में न भरी गई अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की 3 रिक्तियों तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की 2 रिक्तियों को "बकाया" रिक्तियों के रूप में अग्रेणीत किया जाता है तथा भर्ती वर्ष में 4 नई रिक्तियां होती हैं तथा आरक्षण संबंधी मौजूदा अनुदेशों का अनुसरण करते हुए उन चारों रिक्तियों में से एक-एक रिक्ति को क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाना हो तो घोषित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी :-

	मौजूदा रिक्तियां				
	अन्य समुदाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
पद का नाम	2	1	1	3	2

5. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियों को, जो भरी नहीं गई हैं अगले भर्ती वर्ष में "बकाया" रिक्तियों के रूप में अग्रेणीण किया जाएगा, 1-4-1989 की स्थिति के अनुसार अनारक्षण के पश्चात् सम्बद्ध रिक्तियों के भरे जाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अग्रेणीत आरक्षण के बारे में मौजूदा आदेशों तथा अनुदेशों का पालन करते हुए "मौजूदा" रिक्तियों के रूप में कार्यवाही की जाती रहेगी। यदि ऐसी आरक्षित रिक्तियां तब भी न भरी गई हों तो उन्हें इन आदेशों के अन्तर्गत "बकाया" रिक्तियों के रूप में अग्रेणीत किया जाएगा।

6. यदि इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता तथा उन्हें "बकाया" रिक्तियों के रूप में अग्रेणीत किया जाता है और वे लगातार तीन वर्षों तक भरी नहीं जाती हैं तो बाद के सभी प्रयासों में यदि उस समुदाय से संबंध रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार जिसके लिए रिक्ति आरक्षित है, उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है।

7. जबकि समूह "क", "ख", "ग" तथा "घ" पर सीधी भर्ती के संबंध में आरक्षण हटाने पर प्रतिबन्ध 1-4-1989 से प्रभावी होता है, समूह "क" सेवाओं में रिक्तियों पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे विरल और आपवादिक मामले हो सकते हैं जहां पदों को अनसूचित जाति तथा/अथवा अनसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के पश्चात् लोक हित में खाली नहीं रहने दिया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में, जिस प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के अधीन भर्ती की जा रही है वह अनारक्षण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा ऐसा करने के लिए पूरा औचित्य देगा तथा अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति आयुक्त से परामर्श करके प्रत्येक प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त करेगा। अनसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति आयुक्त की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय अनारक्षण के प्रस्ताव को आयुक्त की टिप्पणियों सहित समिति के समक्ष विचार-

विमर्श तथा सिफारिश के लिए रखेगा, जिसमें, कार्मिक मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय तथा जिस मंत्रालय/विभाग के अधीन भर्ती की जानी है, उसके सचिव शामिल होंगे। इस समिति की सिफारिश को कार्मिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।

8. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपयुक्त अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी नियोक्ता/भर्ती करने वाले प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें।

केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों में सीधी भर्ती

487. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और इससे सम्बद्ध निकायों, इत्यादि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण वित्त पोषित और नियंत्रित होते हैं, के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती करने के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के कुछ निकायों को इस सीमा से रियायत देने की छूट प्रदान की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विभागों/निकायों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) जी हां, इन्दिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत समग्र आरक्षण, एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Ignoring he advice of UPSC

488. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of cases in which the advice given by the Union Public Service Commission has been ignored during the years 1992-93 and 1993-94; and

(b) what were the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA); (a) and (b) In the Annual Report for the year 1992-93, UPSC reported 8 cases of non-acceptance of the Commission's advice. The Report alongwith an Explanatory Memoranda giving reasons for Non-acceptance of the 8 cases is being laid on the Table of the House in the current session. The Government is still to receive the Commission's Report for the year 1993-94.

Bar on Epileptic Patients in Government Servile

489. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Epileptic patients are debarred from joining Government service; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) There are no general orders debarring epileptic patients from joining Government service. However, standards of medical fitness for entry into Government service in a post, depend on the nature of duties to be performed in that post.